अध्याय - 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2011 12 के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े **तालिका 1.1** में दिए गए हैः

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
कर राजस्व		11,782.80	12,180.70	13,447.85	16,477.75	19.971.67
गैर-कर राजस्व		1,816.70	2,300.72	3,467.40	4,188.95	460.87
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
सहायता अनुदान		1,312.88	1,870.79	3,536.08	4,357.40	1,960.64
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)**	**14,912.38**	**16,352.21**	**20,451.33**	**25,024.10**	**22,393.18**
4.	**1 से 3 तक की प्रतिशतता**	**91**	**89**	**83**	**83**	**91**

स्रोतः राजस्व प्राप्तियाँ प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

उपर्युक्त तालिका यह इंगित करती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा वृद्धि राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 22393.18 करोड़) का 91 *प्रतिशत* थी । शेष नौ *प्रतिशत* प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त थीं । पूर्व वर्ष की तुलना में कर राजस्व में वृद्धि 21.20 *प्रतिशत* थी तथा गैर-कर राजस्व में कमी पूर्व वर्ष की तुलना में 88.99 *प्रतिशत* थी ।

1.1.2 वर्ष 2007-08 से 2012-12 की अवधि के दौरान बढ़ाया गया कर राजस्व विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया हैः

तालिका 1.2: कर राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में वृद्धि (+) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार पर कर इत्यादि	8,310.49	9,152.09	10,126.01	12,068.62	13.750.95	**(+)13.94**
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,301.25	1,420.91	1,643.56	2,027.09	2.533.72	**(+)24.99**
3.	स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	1,318.40	788.01	929.97	1,355.75	2.240.25	**(+)65.24**
4.	वाहनों पर कर	420.20	419.12	462.65	707.55	1,049.19	**(+)48.28**
5.	अन्य कर	432.46	400.57	285.66	318.74	397.55	**(+)24.73**
कुल		**11.782.80**	**12.180.70**	**13,447.85**	**16,477.75**	**19,971.66**	**(+)21.20**

स्रोतः राज्य प्राप्तियाँ प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों ने 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण बताए ।

बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर करः इसमें वृद्धि अधिक व्यापारियों के पंजीकरण तथा अधिक प्रवर्तन सर्वेक्षण किए जाने के कारण थी ।

राज्य उत्पाद शुल्कः इसमें वृद्धि 1 जुलाई 2011 से नये ड्यूटी ढाँचे के लागू होने के कारण थी ।

स्टांप तथा पंजीकरण शुल्कः इसमें वृद्धि फरवरी 2011 में अधिसूचित सर्किल दरों के संशोधन तथा ₹ 50,000 की अधिकतम सीमा को हटाने के पश्चात पंजीकरण शुल्क संग्रहण में वृद्धि के कारण थी ।

वाहनों पर करः इसमें वृद्धि वाहन बिक्री में वृद्धि तथा डीजल वाहनों पर अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण में वृद्धि के कारण थी ।

1.1.3 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान जारी गैर-कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दिए गए हैः

तालिका 1.3 : गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,634.79	2,101.41	3,236.61	3,869.84	174.14	(-)95.50
2.	लाभांश व लाभ	31.15	29.92	41.56	46.59	33.00	(-)29.17
3.	सामान्य सेवाएँ	85.20	64.91	93.41	101.84	128.58	(+)26.25
4.	समाज सेवाएँ	37.47	54.53	56.13	61.59	79.48	(+)29.05
5.	आर्थिक सेवाएँ	28.09	49.95	39.69	109.08	45.67	(-)58.13
कुल		**1,816.70**	**2,300.72**	**3,467.40**	**4,188.94**	**460.87**	**(-) 88.99**

स्रोतः राजस्व प्राप्तियाँ प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों द्वारा 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के कारण नीचे दिए गए हैं ।

ब्याज प्राप्तियाँः इसमें कमी दि.ज.बो. एवं दि.प.नि. से देय ब्याज की वसूली में कमी के कारण थी तथा 2011-12 से इसे गैर-योजनागत ऋणों में बदलने से रोक दिया गया था ।

लाभांश व लाभः इसमें कमी वास्तविक लाभों तथा कंपनियों द्वारा घोषित विभिन्न अन्य लाभांश की नीतियों पर आधारित थी ।

सामान्य सेवाएँ तथा समाज सेवाएँः इसमें वृद्धि सेवा लेने वालों/सेवा प्रदान करने वालों की संख्या तथा शुल्कों इत्यादि में वृद्धि के कारण थी ।

आर्थिक सेवाएँ: इसमें कमी गाँवों तथा लघु उद्योगों के राजस्व में निर्दिष्ट कमी के कारण थी ।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

वर्ष 2011-12 के लिए कर तथा गैर-कर राजस्व के संबंध में राजस्व प्राप्तियों बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर **तालिका 1.4** में उल्लिखित है:

तालिका 1.4: संशोधित बजट अनुमान वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता आधिक्य (+)/कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	14000.00	13750.95	(-)249.05	(-)1.78
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2400.00	2533.73	(+)133.73	(+)5.57
3.	स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2399.97	2240.25	(-)159.72	(-)6.66
4.	वाहनों पर कर	950.00	1049.19	(+)99.19	(+)10.44
5.	अन्य कर	378.00	397.55	(+)19.55	(+)5.17
गैर-कर राजस्व					
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	369.81	174.14	(-)195.67	(-)52.91
2.	लाभांश व लाभ	45.00	32.99	(-)12.01	(-)26.69
3.	सामान्य सेवाएँ	109.54	128.58	(+)19.04	(+)17.38
4.	सामाजिक सेवाएँ	73.32	79.48	(+)6.16	(+)8.40
5.	आर्थिक सेवाएँ	42.80	45.67	(+)2.87	(+)6.71

स्रोतः प्राप्तियाँ बजट 2012-2013 और वेतन व लेखा कार्यालय, दिल्ली

विभाग ने बताया कि अनुमान पिछली प्रवृत्तियों और साथ ही साथ पिछले वर्ष के सितम्बर/अक्टूबर माह तक की वास्तविक प्राप्तियों पर आधारित हैं और अनुमानों को 16 से 18 महीने पूर्व ही तैयार कर लिए जाते हैं और बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर होने की पूरी संभावना है ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियाँ, उनके संग्रहण में किए गए व्यय और ऐसे व्यय का सकल संग्रहण से प्रतिशत, साथ ही वर्ष 2010-11 के लिए सकल संग्रहण के एकत्रण पर व्यय की संबंधित अखिल भारतीय औसत *प्रतिशत* को

तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2010-11 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2009-10 2010-11 2011-12	10126.01 12068.62 13750.95	50.83 50.69 53.67	0.50 0.42 0.39	0.75
राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10 2010-11 2011-12	1643.56 2027.09 2533.73	8.75 9.44 10.79	0.53 0.47 0.43	3.05
स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2009-10 2010-11 2011-12	929.97 1355.75 2240.25	19.53 19.30 31.60	2.10 1.42 1.41	1.60
वाहनों पर कर	2009-10 2010-11 2011-12	462.65 707.55 1049.19	34.34 37.03 31.79	7.42 5.23 3.03	3.71

स्रोतः राज्य वित्त प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा, दिल्ली

1.4 राजस्व मे बकायों का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों के राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 तक बिक्री कर/मुल्य वर्धित कर से सम्बन्धित ₹ 15254.20 करोड़ में से ₹ 15249.16 करोड़ की राशि के राजस्व के बकायों का उल्लेख **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 तक बकाया राशि	5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	15249.16	1010.60	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	5.04	0.31	31 मार्च 2012 तक, कुल बकाया मांग ₹ 3.52 करोड़ थी जिसमें से ₹ 0.91 करोड़ की मांग अपील के तहत तथा ₹ 0.63 करोड़ की मांग नए सिरे से कर निर्धारण के लिए वापस कर दी गई । उपरोक्त के अतिरिक्त, ₹ 0.31 करोड़ की राशि भी ब्याज सहित मध्यस्थ के पास लम्बित है ।
कुल		**15254.20**	**1010.91**	

राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण) द्वारा राजस्व प्राप्ति के बकायों को शून्य बताया गया । परिवहन विभाग ने बताया कि बकायों की राशि को आज तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका (दिसम्बर 2012) ।

1.5 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए लम्बित कर निर्धारण के ब्यौरों का उल्लेख **तालिका 1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7: कर निर्धारण में बकाया

वर्ष	प्रारंभिक शेष	मामले जिनका कर निर्धारण किया जाना था	कुल	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित मामले
व्यापार तथा कर विभाग					
2009-10	5559	94521	100080	95135	4945
2010-11	4945	85360	90305	85720	4585
2011-12	4585	144115	148700	146774	1926
राज्य उत्पाद विभाग					
2009-10	1152	725	1877	455	1422
2010-11	1422	854	2276	584	1692
2011-12	1692	879	2571	834	1737

राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण) तथा परिवहन विभाग ने कर निर्धारण में बकायों को शून्य बताया ।

1.6 कर अपवंचन

व्यापार तथा कर विभाग द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कर अपवंचन के बहुत से मामले जैसा कि उनके द्वारा बताया गया क्रमशः 1451, 1843 तथा 871 पता लगाये गये थे । वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों के अनुसार आंकडों के मध्य ₹ 815.59 करोड़ की विभिन्नता थी तथा जिसे प्रवर्तन शाखा द्वारा छापा मारे जाने के दौरान प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया जैसाकि **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: कर अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभिन्नता के प्रकार	पता लगाई गई राशि
1.	नकद विभिन्नता	16.19
2.	स्टॉक विभिन्नता	284.20
3.	पता लगाये गये अभिग्रहण	515.20
कुल		**815.59**

शाखा द्वारा पता लगाए गए मामलों को, बाद में विभाग के सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिए गए ।

राज्य उत्पाद विभाग तथा राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण) ने कर के अपवंचन के मामलों को शून्य बताया ।

1.7 वापसी

वर्ष 2011-12 के दौरान बहुत से मामलों में धन की वापसी की अनुमति दी गई जैसाकि सम्बन्धित विभागों द्वारा बताया गया, का उल्लेख **तालिका 1.9** में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.9: वापसी

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	मामलों की संख्या	राशि
व्यापार तथा कर विभाग	22790	356.04
परिवहन विभाग	23	0.02
राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण)	2836	32.57
राज्य उत्पाद शुल्क	14	0.19

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभाग/सरकार के उत्तर

1.8.1 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी नियत करने तथा राज्य सरकार के हित की सुरक्षा में विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली (प्र.म.ले.) निर्धारित नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार लेन-देनों तथा महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण में नमूना जाँच करता है । निरीक्षणों में सामने आई अनियमितताओं की जाँच के दौरान जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सके उन्हें प्रतिवेदनों में जारी करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए आगे मुख्य प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है । निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शायी गई अभियुक्तियों को कार्यालयों में प्रमुख/सरकार को शीघ्रतः त्रुटियों एवं अन्य गलतियों को सुधारने के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन की जारी हुई तारीख से एक महीने के भीतर महालेखाकार को अनुपालना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है । गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों तथा सरकार के प्रमुखों को भेजा जाता है ।

दिसम्बर 2011 तक जारी किए गए 483 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 8938.03 करोड़ को सम्मिलित करते हुए जून 2012 की समाप्ति तक 10028 पैराग्राफ बकाया

रहे थे जैसा कि विगत दो वर्षों के आंकडों के साथ तालिका 1.10 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.10 बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

	जून, 2010	जून, 2011	जून, 2012
बकाया नि.प्र.की संख्या	341	360	483
बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या	6002	7867	10028
शामिल राशि (₹ करोड़ में)	**3920.65**	**6619.49**	**8938.03**

30 जून 2012 को विभाग-वार बकाया नि.प्र. तथा राशि को शामिल करके लेखापरीक्षा पैराग्राफों के ब्यौरे का उल्लेख **तालिका 1.11** में किया गया है:

तालिका 1.11: विभागवार बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफ की संख्या	सम्मिलित धन राशि
1.	व्यापार तथा कर	बिक्री,व्यापार इत्यादि पर कर/मू.व.क.	388	9629	8918.44
2.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	7	27	11.42
3.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	40	87	4.08
4.	वित्त (स्टॉम्प तथा पंजीकरण)	स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	48	285	4.09
कुल			**483**	**10028**	**8938.03**

जवाबों की गैर-प्राप्ति के कारण बड़ी मात्रा में बकाया नि.प्र. यह दर्शाते है कि प्र.म.ले. द्वारा नि.प्र. में इंगित की गई कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं के सुधार में विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के अध्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहे थे ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर तुरन्त और तर्कसंगत प्रतिक्रिया के लिए एक कारगर कार्यप्रणाली की स्थापना करे और ऐसे कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करे जो निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराग्राफों के निर्धारित समय में जबाव भेजने में असफल रहते है और जो समयबद्ध सीमा में हानि/बकायों की वसूली करने में भी कोई कार्रवाई करने में विफल रहते हैं ।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन (विभिन्न अवधियों के दौरान) नि.प्र. में पैराग्राफों तथा नि.प्र. के निपटान की प्रगति को शीघ्रता से पूरा करने एवं अनुवीक्षण करने के लिए करती है । वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित की गई लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के ब्यौरे तथा पैराग्राफों के निपटान का उल्लेख **तालिका 1.12** में किया गया है:

तालिका 1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	की गई बैठकों की संख्या	निपटान किए गए पैराग्राफों की संख्या	राशि
बिक्री कर	8	583	503.85
कुल	**8**	**583**	**503.85**

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें कराने के बावजूद 9629 पैराग्राफों की बड़ी मात्रा में बकाया की तुलना में बिक्री कर से सम्बन्धित पैराग्राफों के निपटान की प्रगति नगण्य थी ।

यह सिफारिश की गई कि सरकार को अधिक बैठकें करनी चाहिए तथा बकाया पैराग्राफों के निपटान हेतु ठोस प्रयास करने चाहिए ।

1.8.3 जाँच के लिए लेखपरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

व्यापार तथा कर विभाग, राज्य उत्पाद विभाग, मनोरंजन तथा विलासिता कर, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ करने से एक माह पूर्व सूचनाएं जारी कर दी जाती हैं, जिससे विभाग सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए तैयार रखें ।

वर्ष 2011-12 के दौरान, कर निर्धारण अभिलेखों के 1601 मामलों को शामिल करते हुए तीन कार्यालयों से सम्बन्धित कर निधारण अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया । 1601 मामलों में से 1599 मामले व्यापार तथा कर विभाग से सम्बन्धित थे । इस प्रकार के कार्यालयों का वर्षवार ब्यौरा जिन्होने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे, **तालिका 1.13** में दिया गया है:

तालिका 1.13 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुति करण

कार्यालय का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी	लेखापरीक्षा न किए गए निर्धारण के मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें सम्मिलित राजस्व निश्चित किया जा सका
स्टॉम्प तथा पंजीकरण	2011-12	1	शून्य
परिवहन	2011-12	1	शून्य
व्यापार तथा कर विभाग	2011-12	1599	शून्य
कुल		**1601**	

उपरोक्त मामलों में शामिल राजस्व मालूम नहीं किया जा सका, क्योंकि लेखापरीक्षा जांच के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।

1.8.4 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर विभागों के उत्तर

प्रधान महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जाता है । सभी विभागों को उनकी टिप्पणियाँ उनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजनी अपेक्षित होती है । सरकार से जवाब की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में दर्शाया जाता है ।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित करने के लिए 17 पैराग्राफ (एक निष्पादन लेखापरीक्षा को शामिल करते हुए) संबंधित विभागों तथा सरकार को जुलाई 2012 में अग्रेषित किए गए थे । विभाग से सभी पैराग्राफों के संबंध मे उत्तर खण्डों में प्राप्त हुए थे ।

1.8.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-संक्षिप्त स्थिति

जब भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाते है तो विभिन्न विभागों को रिपोर्ट में लिए सभी पैराग्राफों पर एक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन.) लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) के विचारार्थ प्रस्तुत करना होता है । ए.टी.एन.को प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को कम करता है । भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को राजस्व प्राप्तियों से संबंधित प्रतिवेदन में शामिल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों पर बकाया एक्शन टेकन नोट की अक्टूबर 2012 की स्थिति का उल्लेख निम्नलिखित **तालिका 1.14** में है:

तालिका 1.14: बकाया एक्शन टेकन नोट

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में छापे गए पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों की संख्या	पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों की संख्या जिनके ए.टी.एन. प्रतिक्षित थे
1.	2004	20+3 (पुनरीक्षण)	3+1 (पुनरीक्षण)
2.	2005	26+1 (पुनरीक्षण)	1+0 (पुनरीक्षण)
3.	2006	19+1 (पुनरीक्षण)	0+1 (पुनरीक्षण)
4.	2007	15+1 (पुनरीक्षण)	0+1[1] (पुनरीक्षण)
5.	2008	9+2 (पुनरीक्षण)	0+2[2] (पुनरीक्षण)
6.	2009	13+2 (पुनरीक्षण)	13[3]+2 (पुनरीक्षण)
7.	2010	17+1 (पुनरीक्षण)	16+1[1] (पुनरीक्षण)
8.	2011	12+3 (पुनरीक्षण)	12+3 (पुनरीक्षण)

1 ए.टी.एन. आंशिक रूप से प्राप्त हुए ।
2 एक पुनरीक्षण के संबंध में ए.टी.एन.आंशिक रूप से प्राप्त हुए ।
3 वर्ष 2009 के लिए, 4 पैराग्राफ पर ए.टी.एन. प्राप्त किए गए परन्तु आंशिक रूप से ।

सरकार को, लंबित एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा करने तथा शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

1.8.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

2006-07 से 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गये ₹ 453.59 करोड़ के राजस्व के पैराग्राफों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया जिसमें से अक्टूबर 2012 तक

केवल ₹ 1.04 करोड़ वसूल किए गए जिनका विवरण **तालिका 1.15** में है:

तालिका 1.15: स्वीकृत मामलों के प्रति वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की धनराशि	स्वीकृत मामलों की धनराशि	वसूल की गई राशि
2006-07	254.93	209.06	0.27
2007-08	945.52	28.17	0.18
2008-09	1729.62	109.00	0.14
2009-10	1764.20	49.36	0.39
2010-11	1479.98	58.00	0.06
कुल	**6174.25**	**453.59**	**1.04**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 453.59 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के प्रति केवल ₹ 1.04 करोड़ (0.23 *प्रतिशत*) वसूल किए गए थे ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार स्वीकृत मामलों में शीघ्र वसूली के लिए प्रयास करें ।

1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को हल करने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभाग/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मामलों से निपटने की प्रणाली के विश्लेषण के उद्देश्य से व्यापार तथा कर विभाग के संबंध में पिछले आठ वर्षों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों तथा पुनरीक्षण पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया ।

अनुवर्ती पैराग्राफ 1.9.1 से 1.9.2.2 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों में पिछले आठ वर्षों के दौरान व्यापार तथा कर विभाग द्वारा की गई अनुपालना के निष्पादन तथा वर्ष 2004-05 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए मामलों पर विचार विमर्श किया गया है ।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले आठ वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों तथा 31 मार्च 2012 को उनकी स्थिति की

तालिका 1.16 में सारणीबद्ध किया गया है:-

तालिका 1.16: निरीक्षण प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि
2004-05	1145	10821	1127.42	93	1436	306.27	668	7468	404.91	570	4789	1028.78
2005-06	570	4789	1028.78	81	1377	399.89	227	1916	174.95	424	4250	1253.72
2006-07	424	4250	1253.72	64	880	320.51	265	2548	543.25	223	2582	1030.98
2007-08	223	2582	1030.98	62	1329	1077.42	79	1266	349.89	206	2645	1758.51
2008-09	206	2645	1758.51	89	2265	1748.24	6	429	413.39	289	4481	3093.36
2009-10	289	4481	3093.36	108	2972	2900.71	11	301	218.47	386	7152	5775.60
2010-11	386	7152	5775.60	54	2009	1831.89	85	564	434.09	355	8597	7173.40
2011-12	355	8597	7173.40	96	2204	3079.27	24	657	394.02	427	10144	9858.65

विभाग तथा इस कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को आयोजित किया जाता है तथा यह समितियाँ पुराने पैराग्राफों का मौके पर निपटान करती है । उपरोक्त सारणी प्रमाणित करती है कि बहुत अधिक प्रयासों के कारण 2004-05 के अंत तक, 4789 बकाया पैराग्राफों सहित 570 नि.प्र. के प्रति 2011-12 की समाप्ति पर 427 नि.प्र. के 10144 पैराग्राफ ही शेष रह गए है ।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन

1.9.2.1 स्वीकार किए गए मामलों की वसूली

पिछले छः वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा जिनकी राशि वसूल कर ली गई थी, की स्थिति **तालिका 1.17** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.17: स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन	सम्मिलित किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की धनराशि	स्वीकार किए गए पैराग्राफों की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	स्वीकृत मामलों में वसूली की समेकित स्थिति
2005	27	402.36	55.65	0.18	0.18
2006	20	177.85	11.52	0.11	0.29
2007	16	254.93	16.54	0.08	0.37
2008	11	945.52	70.75	0.14	0.51
2009	15	1729.62	428.96	0.04	0.55
2010	18	1764.20	0.52	0.52	1.07

उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही अपर्याप्त थी और उसे कम से कम स्वीकृत मामलों में निहित राजस्व की वसूली के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

1.9.2.2 विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

प्रधान महालेखाकर द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं/पुनरीक्षणों को संबंधित विभागों/सरकार को उनके सूचनार्थ जवाब भेजे जाने के निवेदन सहित अग्रेषित किए गये । इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समाप्ति सम्मेलन में विचार किया गया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देने से पूर्व विभागों/सरकार के विचारों को सम्मिलित किया गया ।

पिछले छः वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यापार एवं कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क मनोरंजन एवं विलासिता कर तथा परिवहन विभाग के निम्नलिखित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को **तालिका 1.18** में दर्शाया गया है । यद्यपि लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा इनमें से किसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं को चर्चा के लिए नहीं लिया गया है।

तालिका 1.18: सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

नि.प्र.का वर्ष	पुनरीक्षण का नाम	सिफारिशों की संख्या	स्थिति
2005-06	मनोरंजन, बैटिंग तथा विलासिता कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा वसूली	3	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
2006-07	निर्यात तथा हाई सी सेल के कारण कर की छूट	3	तदनंतर लेखापरीक्षाओं से पता चला कि विभाग ने सिफारिश को लागू नहीं किया है ।
2007-08	शाखा स्थानान्तरण/प्रेषण बिक्री के कारण केन्द्रीय बिक्री कर की छूट का निष्पादन मूल्यांकन	4	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	परिवहन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	5	उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि विभाग ने सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है।
2008-09	निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा वसूली	3	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	दिल्ली बिक्री कर से दिल्ली मूल्य वर्धित कर में परिवर्तन	4	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
2009-10	स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का उद्ग्रहण तथा एकत्रण	5	विभाग द्वारा सभी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालयों के आधुनिक केन्द्रीय रजिस्ट्री से सम्बन्धित पंजीकृत दस्तावेजों प्रत्यक्ष तथा डीजीटल दोनों फार्मो को सुरक्षित रूप से रखे जाने की अवधारणा की योजना की एक सिफारिश को कार्यान्वित किया गया
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्यिक में घोषणा-फार्म की उपयोगिता	4	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण	5	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	ब्याज प्राप्तियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया

1.10 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागो के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा की विगत प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीकृत किया गया है । वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के आलोचनात्मक मामले जैसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग की रिपोर्ट (राज्य तथा केन्द्रीय), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के लक्षण, लेखापरीक्षा कवरेज तथा पिछले पाँच वर्षो के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि शामिल है ।

वर्ष 2011-12 के दौरान, लेखापरीक्षा के अन्तर्गत 111 लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयाँ समाविष्ट थीं, जिसमें से 95 इकाईयाँ योजनागत थीं तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 89 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों का 93.68 *प्रतिशत* था ।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा इन प्राप्तियों पर कर प्रशासन की क्षमता को जाँचने के लिए भी की गई थीं ।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.11.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान व्यापार तथा कर विभाग, राज्य उत्पाद, मनोरंजन, परिवहन, तथा राजस्व विभाग इत्यादि के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1655 मामलों में कुल ₹ 2706.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि इत्यादि का पता चला । वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 1028 मामलों में सम्मिलित ₹ 19.14 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकृत किया । इनमें से विभागों ने वर्ष 2011-12 के दौरान 187 मामलों में ₹ 1.23 करोड़ की वसूली की ।

1.11.2 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में "मनोरंजन, बैटिंग एवं विलासिता पर कर के निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण के तंत्र" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 16 पैराग्राफ सम्मिलित हैं जिनमें लेखापरीक्षा में ₹ 2363.11 करोड़ के वित्तीय प्रभाव, जिसमें से ₹ 19.14 करोड़ विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है, को शामिल करते हुए कर, ड्यूटी ब्याज तथा जुर्माने के कम/गैर-उद्ग्रहण के अतिरिक्त कुछ प्रणालीगत व अनुपालन कमियों को इंगित किया गया है । इनकी चर्चा आगामी अध्यायों-II से V में की गई है ।